संख्या-14 /2024/|/546099 /001-38-2002-002-1-2024

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य् विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 23 अप्रैल, 2024**

विषय:-**दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-04/प्रशि0/बजट आवंटन-4(3)/2024-25, दिनांक 02 अप्रैल 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध सस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ एवं लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के लिये बजट में प्राविधानित कुल धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध सस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ हेतु धनराशि रू0 1532.00 लाख एवं लेखाशीर्षक ''2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों हेतु धनराशि रू0 8908.10 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 10440.10 लाख निम्नांकित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) कोषागार से धनराशि का आहरण एकमुश्त न किया जाये, अपितु धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(5) उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशों को ध्यान में रखकर ही किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	01 वेतन	55,00,00,000 (रुपये पचपन करोड़ मात्र)
2	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	02 मजदूरी	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
3	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	03 मंहगाई भत्ता	30,25,00,000 (रुपये तीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
4	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	04 यात्रा व्यय	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
5	013	2515000030300	05	2,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	(रुपये दो लाख मात्र)
6	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	06 अन्य भत्ते	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
7	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	08 कार्यालय व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
8	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	10 जलकर / जल प्रभार	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
9	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
10	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
12	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
13	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
14	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
17	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	42 अन्य व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
18	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
20	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
21	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
22	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
23	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	49 चिकित्सा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
24	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
25	013	2515000030300 कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	55 मकान किराया भत्ता	1,30,00,000 (रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)
26	013	2515000030300	58	30,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	(रुपये तीस लाख मात्र)
	कुल			**89,08,10,000 (रुपये नवासी करोड़ आठ लाख दस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	01 वेतन	7,30,00,000 (रुपये सात करोड़ तीस लाख मात्र)
2	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	02 मजदूरी	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	03 मंहगाई भत्ता	4,01,50,000 (रुपये चार करोड़ एक लाख पचास हजार मात्र)
4	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	04 यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	06 अन्य भत्ते	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	08 कार्यालय व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
8	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	09 विद्युत देय	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
9	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
10	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
11	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	13 टेलीफोन पर व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
12	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
13	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	18 प्रकाशन	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास	26 मशीनें और सज्जा	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	/उपकरण और संयंत्र	
16	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
17	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
19	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
21	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
22	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
23	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	55 मकान किराया भत्ता	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)
25	013	2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
	कुल			**15,32,00,000** **(रुपये पन्द्रह करोड़ बत्तीस लाख मात्र)**

महायोग	1,04,40,10,000 (रुपये एक अरब चार करोड़ चालीस लाख दस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
धर्मेन्द्र कुमार पाठक
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
4- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र कुमार पाठक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।